03/02/25

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उभय पक्षकरान की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन करने पर प्रार्थी का प्र० पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं सलग्न मूलवाद रहे।

सहायक कलेक्टर
अलवर (राज०)